संख्या-69/2016/3106/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.4

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 01 नवम्बर, 2016

विषयः हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकृत्रियों को सभासदों के साथ संयुक्त खाता खुलवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-983/बा0वि0परि0/योजना/2016-17, दिनांक 26 सितम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-1884/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.II, दिनांक 17 जून, 2016 एवं पत्र संख्या-1885/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.II, दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु ग्रमीण क्षेत्रो के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं एवं 06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के पोषण हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश किये गये हैं। इसी क्रम में शासनादेश संख्या-53/2016/2119/60-2-16-2/3(01)/12 टीसी-III, दिनांक 29 जुलाई, 2016 द्वारा शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में सम्बन्धित वार्ड के सभासद को आंगनवाड़ी कार्यकत्री के साथ संयुक्त रूप से खाता खोलने तथा योजना के संचालन के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व दिये जाने एवं जनपद गौतमबुद्ध नगर में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के साथ मातृ समिति की अध्यक्षा को उत्तरदायित्व दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उन जनपदों के शहरी क्षेत्रों/नगर पालिकाओं/ग्रामीण क्षेत्रों, जहॉं पर सभासद/पार्षद/ग्राम प्रधान के पद रिक्त हैं अथवा अन्य कोई कठिनाई आ रही है, वहॉं हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्य के संचालन हेतु मातृ समिति की अध्यक्षा को उत्तरदायित्व दिये जाने तथा उन केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकत्री के साथ मातृ समिति की अध्यक्षा का खाता खुलवाये जाने हेतु निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को अधिकृत किया जाता है। उक्त अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि सभासद/पार्षद/ग्राम प्रधान के पद भरे जाने पर पूर्व में इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों के प्राविधान लागू होंगे।

4. कृपया तदनुसार योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि - समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।